जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ई–मेल : E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2025/885 दिनांक : 06.08.2025

सूचना

प्रायः यह देखने में आ रहा कि, महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं से आये दिन निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त शुल्क बसूलने, कोर्स की अवधि पूर्ण होने पर अंकसूची एवं टी.सी. हेतु अतिरिक्त शुल्क की मांग, अंकसूची रोकने संबधी शिकायत/सी.एम.हेल्पलाइन प्राप्त हो रही है।

जिसके कारण विश्वविद्यालय पर सी.एम. हेल्पलाइन की संख्या में बृद्धि होने एवं महाविद्यालयों द्वारा उक्त शिकायतों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुऐ समयावधि में निराकृत नहीं किये जाने के कारण म.प्र.शासन द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है, जिसके कारण विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है।

अतः उक्त संबध में समस्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि,वे शासन/फीस विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की मांग न करे एवं ना ही छात्र/छात्राओं से कोर्स की अवधि पूर्ण होने पर अंकसूची एवं टी.सी. हेतु अतिरिक्त शुल्क बसूलने एवं अंकसूची रोकने संबधी कार्यवाही सम्पादित नहीं करें। यदि उनके महाविद्यालय के सबंध में इस प्रकार की शिकायत/सी.एम.हेल्पलाइन प्राप्त होती है तो महाविद्यालय के विरूद्व परिनियम–27 के प्रावधानानुसार की जाने वाली कार्यवाही हेतु महाविद्यालय प्रबंधन स्वंय जिम्मेदार होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, समस्त अशासकीय महाविद्यालय, सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर–चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू,लश्कर ग्वालियर।
4. उप–कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलगुरू के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद्